**पंजीकृत डाक से, पावती सहित**

सं.2721/एफएए/2014-15/ए-10 20 अगस्त, 2014

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारीभारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)अपील सं.: 10/2014-15**

**श्री कुमार रमन श्रीवास्तव के दिनांक 25/04/2014 के आरटीआई आवेदन के संबंध में सिडबी के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के दिनांक 01/07/2014 के आदेश सं.1267 के विरुद्ध श्री कुमार रमन श्रीवास्तव द्वारा अपने 18/07/2014 के पत्रादि के जरिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील**

**पृष्ठभूमि :**

श्री कुमार रमन श्रीवास्तव, द्वारा डॉ. आर.सी. श्रीवास्तव, 434, सेक्टर क्रमांक – 3, शक्ति नगर, हबीबगंज, भेल भोपाल – 462 024, मध्य प्रदेश, द्वारा अपने दिनांक 25/04/2014के पत्र द्वारा, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गतसिडबी की सहयोगी संस्था एसएमई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (आईसार्क) में सतर्कता विभाग से संबंधित चार मुद्दों पर सूचना माँगी थी । इस आवेदन का निस्तारण सिडबी के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने दिनांक 01/07/2014के आदेश सं.1267 द्वारा किया गया जिससे उपलब्ध सूचना, आवेदक को प्रदान की गई थी |

श्री कुमार रमन श्रीवास्तव द्वारा अपनी 18/07/2014 की अपील (जो कि 01/08/2014 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुई) द्वारा प्राप्त सूचना को विभिन्न आधारों पर चेलेंज किया है |

***…2/-..***

**: 2 :**

**निर्णय :**

मैंने आवेदनकर्ता के दिनांक 25/04/2014 के आवेदन, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 01/07/2014 के आदेश सं. 1267 व दिनांक 18/07/2014 के मामले में दायर अपील का भलीभांति अवलोकन किया | केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के आदेश से यह स्पष्ट है कि मामले से संबंधित उपलब्ध जानकारी आवेदक को प्रदान करा दी गई है |

अपील में दर्शाए गए अपील के कारणों से यह लगता है कि आवेदक, जो संबंधित कंपनी में कार्यरत था, को शिकायत सूचना प्रदान न कराने की बजाय उस सूचना को अलग रूप में उपलब्ध होने / प्रदान किये जाने के लिए है | साथ ही अपील से ऐसा भी पाया गया है कि आवेदक अपने से संबंधित सूचना को अपने द्वारा प्रदान कराये गए प्रमाण पत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते है | जो कि सूचना अधिनियम के दायरे से बाहर है | उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का दायित्व उपलब्ध सूचना को अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत उपलब्ध कराने तक सीमित है | जो कि उनके द्वारा दिनांक 01/07/2014 के आदेश द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है |

उपरोक्त के आधार पर आवेदक द्वारा दायर अपील में कोई आधार / तथ्य नहीं पाया गया | अतः यह अपील निरस्त की जाती है |

आदेश तदानुसार ।

**ह/-**

**[शैलेन्द्र महलवार]मुख्य महाप्रबंधक (विधि) तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी**

दिनांक 20/08/2014 का पृष्ठांकन सं.2721ए/एफएए/2014-15/ए-10

1) श्री कुमार रमन श्रीवास्तव, द्वारा डॉ. आर.सी. श्रीवास्तव, 434, सेक्टर क्रमांक – 3, शक्ति नगर, हबीबगंज, भेल भोपाल – 462 024, मध्य प्रदेश.

2) श्री उ.शं. लाल, महाप्रबंधक एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सिडबी, प्रधान कार्यालय, लखनऊ, उ.प्र.

**[ एस.बी. साहू ]**

**सहा. महाप्रबंधक (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का कार्यालय)**